संसद से संबंधित शब्दावली

- **प्रश्नकाल (Question Hour)**

संसद के दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक का प्रथम घंटा प्रश्न पूछने तथा उनका उत्तर देने के लिए सुरक्षित है। इसे प्रचलित भाषा में 'प्रश्नकाल' का नाम दिया गया है। इस घंटे में सरकार से सम्बन्धित मामले तथा देश के सम्मुख समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान खींचा जाता है। ऐसा दो कारणों से किया जाता है–समस्या के समाधान तथा प्रशासन की त्रुटियों को उजागर करने के लिए। प्रायः मंत्रियों से तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं–तारांकित, अतारांकित तथा अल्पकालिक प्रश्न।

- **तारांकित प्रश्न (Starred Question)** - इसका उतर मौखिक रूप से सदन में ही दिया जाता है |
- **अतारांकित प्रश्न (Unstarred Question)** - इसका उतर लिखित रूप से दिया जाता है |
- **अल्प सूचना प्रश्न (Short Notice Question)** - जन महत्त्व के अत्यावश्यक विषय से सम्बंधित प्रश्न |

- **श्वेत पत्र** - राष्ट्रीय महत्व के मामले में सरकार द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज |

- **शून्यकाल (Zero Hour)**
- संसदीय प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का कोई उल्लेख नहीं। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1960 के दशक में प्रेस द्वारा किया गया। प्रायः संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के पश्चात का एक घंटा शून्यकाल के नाम से प्रसिद्ध है। शून्यकाल में सदस्य ऐसे मामले उठाते हैं जिनमें देरी करना उचित नहीं।

- **व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न (Point of Order)**
- यदि सदन की कार्यवाही नियमानुसार संचालित न की जा रही हो तो कोई भी सदस्य व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठा सकता है। परन्तु यह सदन के अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वह व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाने की अनुमति दे या न दे।

- **स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion)**

सदन में विचार-विमर्श के लिए अति आवश्यक तात्कालिक विषय से सम्बंधित प्रस्ताव | इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है

- **ध्यानाकर्षण नोटिस (Calling Attention Notice)**
- यह संसदीय प्रक्रिया को भारत की अनूठी भेंट है। इसके अनुसार कोई भी सदस्य स्पीकर की पूर्व अनुमति से, किसी भी मंत्री का ध्यान जन-हित के महत्त्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित कर सकता है तथा उसे उस विषय पर वक्तव्य देने के लिए कह सकता है। मंत्री या तो उस विषय पर संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है अथवा वक्तव्य देने के लिए समय मांग सकता है।

- **अल्पकालीन चर्चा (Short Duration Discussion)**
- गैर सरकारी सदस्यों को भी सार्वजनिक महत्त्व के मामलों को सदन में उठाने का अधिकार है। इस प्रकार के मामले को सदन में उठाने के लिए नोटिस कम से कम 3 संसद सदस्यों द्वारा दिया जाना आवश्यक है। यदि स्पीकर संतुष्ट हो कि मामला पर्याप्त मात्रा में महत्त्वपूर्ण है और इसे जल्द से जल्द सदन में उठाया जाना चाहिए तो वह इसकी अनुमति दे सकता है।

- **कटौती प्रस्ताव (Cut Motion)**
- कटौती प्रस्ताव एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा संसद के सदस्य विशेष शिकायत या समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग में कटौती करना है। कटौती प्रस्तावों को स्वीकार करना या न करना स्पीकर की इच्छा पर निर्भर करता है।

- **गिलोटीन (Guilotine)**
- सभी अनुदानों पर विचार विमर्श निर्धारित समय में समाप्त हो जाना चाहिए। यदि स्पीकर यह महसूस करता है कि मांग तथा अनुदान सम्बन्धी सभी मामले निर्धारित समय में समाप्त नहीं हो पाएँगे तो अखिरी दिन वह सभी मामलों पर बहस समाप्त किए बिना मतदान करा सकता है। इस व्यवस्था को संसदीय भाषा में गिलोटीन कहा जाता है।

- **अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion)**
- भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद् अपने पद पर तब तक बनी रहती है जब तक उसे लोक सभा का समर्थन प्राप्त होता है। जिस समय लोक सभा मंत्री परिषद् में अविश्वास व्यक्त करती है इसे त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्री परिषद् में सदन का विश्वास सिद्ध करने के लिए नियमों में 'अविश्वास प्रस्ताव' का प्रयोजन किया गया है।

- **निन्दा प्रस्ताव (Censure Motion)**
- निन्दा प्रस्ताव सरकार की नीतियों तथा कार्यों की निन्दा करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है। यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है क्योंकि इसमें सरकार के विरुद्ध निश्चित आरोप लगाए जाते हैं।

- **धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of thanks)**:- प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सदन में उस पर विस्तृत चर्चा के बाद सदन द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है. लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना सरकार की नीतियों के प्रति सहमति माना जाता है.

- **सदनों क संयुक्त अधिवेशन** - संविधान के अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया |

- **अनुपूरक अनुदान** - जब व्यय के लिए प्राधिकृत राशि अपर्याप्त हो जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा संसद में अनुपूरक अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव पेश कराया जाता है, इस प्रस्ताव के साथ वित् विधेयक जैसी कार्य प्रणाली अपनायी जाती है |

- **संकल्प (Resolution)**:- सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ मामला किसी सदस्य द्वारा सदन में चर्चा के लिए संकल्प एक प्रक्रियागत उपाय है. यह मूल प्रस्ताव के रूप में सिफारिश की घोषणा, सन्देश देने, स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट करने तथा निवेदन के रूप में होता है.

- **सदन का स्थगन (Adjournment)**:- संसद के प्रत्येक सदन के अध्यक्ष को सदन को सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है. स्थगन के बाद पुन: सदन की बैठक बुलाने की शक्ति भी अध्यक्ष की है.

- **सत्रावसान**:- राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के दोनों सदनों अथवा किसी एक सदन के सत्र समाप्त करने की घोषणा अर्थात् सत्रावसान कर सकता है. सत्रावसान के बाद उक्त सदन की बैठक राष्ट्रपति ही बुला सकता है.

- **विघटन (Dissolution)**:- राष्ट्रपति द्वारा विघटन (भंग) होने के बाद लोकसभा के वर्तमान समय का जीवन समाप्त हो जाता है और उसके बाद आम चुनाव द्वारा नए सदन का गठन होता है. ***राज्य सभा का विघटन नहीं होता.***

- **राष्ट्रमंडल संसदीय संधा (Commonwealth Parliamentary Association) :** राष्ट्रमंडल संसदीय संधा विभिन्न राष्ट्रमंडल देशों के विधानमंडलों में गठित शाखाओं से बना एक संगठन है। इसमें राष्ट्रमंडल की राष्ट्रीय संसदों में गठित मुख्य शाखाएं, राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के अन्तर्गत राज्य या प्रांतीय विधानमंडलों और प्रादेशिक संसदों में गठित राज्य और प्रांतीय शाखाएं शामिल होती हैं।

- **विनियोग विधेयक** - एक ऐसा विधेयक, जिसके तहत लोकसभा के द्वारा भारत के संचित निधि से धन की निकासी की जाती है , विनियोग विधेयक कहलाता है |

- **अध्यादेश** -राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा विधि निर्माण की वह प्रक्रिया, जो तब अस्तित्व में आती है, जब संसद अथवा विधान मंडल सत्रावसान होने के कारण अथवा निम्न सदन के विघटन के कारण विधि निर्माण की स्थिति में नहीं होता है |

- **आकस्मिकता निधि (Contingency fund)** : यह एक आरक्षित निधि है जिसका उपयोग आकस्मिक परिस्थितियों के लिए किया जाता है। यह राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और इस के व्यय पर संसद की अनुमति आवश्यक होती है। खर्च की गयी राशि की समेकित निधि से प्रतिपूर्ति की जाती है।

- **संचित निधि (Consolidated Fund)**:- संविधान के अनुच्छेद **266** के अंतर्गत भारत की संचित निधि का उपबंध है. संचित निधि में करों, ऋणों, अग्रिम राशियों आदि द्वारा भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व जमा होता है. इस निधि में से धनराशि संसद द्वारा पास किये जाने वाले विनियोग अधिनियम द्वारा ही निकाली जा सकती है.

- **कैबिनेट/मंत्रिमंडलीय समिति**
- कैबिनेट समिति ऐसे संगठन हैं जो मंत्रिमंडल के कार्यभार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये समितियां प्रकृति में अतिरिक्त-संवैधानिक (extra-constitutional) हैं और संविधान में कहीं भी इनका उल्लेख नहीं हैं।

- **रचना**: एक कैबिनेट समिति में 3 से 8 लोग होते हैं। यहां तक कि ऐसे मंत्री जो कैबिनेट का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें भी कैबिनेट समिति में जोड़ा जा सकता है। आमतौर पर, प्रत्येक कैबिनेट समिति में कम से कम एक कैबिनेट मंत्री होता है। कैबिनेट समिति के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हो सकते हैं।

- सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक मामलों, संसदीय मामलों, नियुक्तियों, आवास, निवेश एवं विकास और रोजगार एवं कौशल विकास वर्तमन में कुल 8 समितियां मौजूद है
- प्रधानमंत्री संसदीय मामलों और आवास को छोड़कर सभी कैबिनेट समितियों की अध्यक्षता करते हैं. संसदीय मामलों और आवास समितियों को परंपरागत रूप से गृह मंत्री नेतृत्व करते हैं.

- **संसदीय मंच (Parliamentary Forum)**
- संसदीय मंचों के गठन का उद्देश्य हैः कार्यान्वयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए परिणामोन्मुख दृष्टिकोण के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर नोडल मंत्रालयों के संबंधित मंत्रियों, विशेषज्ञों और प्रमुख अधिकारियों के साथ सदस्यों के बातचीत और चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराना।
- सभी संसदीय मंचों(फोरम) का पदेन अध्यक्ष स्पीकर होते हैं सिर्फ जनसंख्या और जन स्वास्थ्य पर बने संसदीय फोरम को छोड़कर क्योंकि राज्यसभा अध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और लोकसभा के स्पीकर पदेन उपाध्यक्ष। प्रत्येक मंच (फोरम) में 31 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते (फोरम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर)। इसमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्य सभा के होते हैं।